

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Criminal Writ Jurisdiction Case No.861 of 2021

Arising Out of PS. Case No.-27 Year-2004 Thana- SANHAULA District- Bhagalpur

1. MD. ALLAUDDIN ANSARI @ ALLAUDDIN ANSARI Son of Late Rahman Ansari Resident of Village - Lashkari, P.S. - Sanokhar, District - Bhagalpur.
 2. Md. Halim Ansari @ Halim Ansari Son of Late Rahman Ansari Resident of Village - Lashkari, P.S. - Sanokhar, District - Bhagalpur.
 3. Md. Akhtar Ansari @ Akhtar Ansari Son of Late Md. Ansari Resident of Village - Lashkari, P.S. - Sanokhar, District - Bhagalpur.
- Petitioners

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Government of Bihar, Patna. Bihar
 2. The State of Sentence Remission Board through the Principal Secretary, Home Deptt. Govtt. of Bihar Patna.
 3. The Joint Secretary - Cum- Director (Administration), Home Department, Bihar, Patna. Bihar
 4. The Secretary, Law Department, Government of Bihar, Patna. Bihar
 5. The Additional Director General of Police, Criminal Investigation Department, Bihar, Patna. Bihar
 6. The Inspector General, Jail and Reforms Services, Bihar, Patna. Bihar
 7. The Assistant Inspector General, Jail and Reforms services, Bihar, Patna. Bihar
 8. The Jail Superintendent , Special Central Jail, Bhagalpur. Bihar
- Respondents

with

Criminal Writ Jurisdiction Case No. 1310 of 2022

Arising Out of PS. Case No.-27 Year-2004 Thana- SANHAULA District- Bhagalpur

Md. Khudbuddin @ Md. Kutubuddin Ansari @ Md. Khudbuddin Ansari Son of Late Rahman Ansari Resident of Village - Lashkari, P.S.- Sanokhar, District - Bhagalpur.

... .. Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna.
2. The State Sentence Remission Board through the Principal Secretary, Home Deptt. Govt. of Bihar, Patna, Bihar.
3. The joint Secretary - Cum- Director (Administration), Home Deptt (Prison), Bihar, Patna.
4. The Secretary, Law Department, Govt. of Bihar, Patna.
5. The Additional Director General of Police, Criminal Investigation Deptt, Bihar, Patna.
6. The Inspector General, Jail and Reforms Services, Bihar, Patna.
7. The Assistant Inspector General, Jail and Reforms Services, Bihar, Patna.
8. The Jail Superintendent, Special Central jail, Bhagalpur. .



... .. Respondents

Appearance :

(In Criminal Writ Jurisdiction Case No. 861 of 2021)

For the Petitioner/s : Mr.Vijay Kumar Singh, Advocate

For the Respondent/s : Mr.Prabhu Narayan Sharma, AC to AG

(In Criminal Writ Jurisdiction Case No. 1310 of 2022)

For the Petitioner/s : Mr.Vijay Kumar Singh, Advocate

For the Respondent/s : Mr.Prabhu Narayan Sharma, AC to AG

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE RAJEEV RANJAN PRASAD
ORAL ORDER

4 22-12-2022 Heard learned counsel for the petitioners and Mr. Prabhu Narayan Sharma, learned AC to AG for the State in both the writ applications.

2. With the consent of the learned counsel for the parties, these two writ applications have been taken up together for consideration.

3. In Cr.W.J.C. No. 861 of 2021, there are three petitioners who are seeking quashing of the decision of Bihar State Remission Board (hereinafter referred to as the 'Board') taken on 05.03.2020 whereby and whereunder the Board has rejected the proposal for the pre-mature release of the petitioners.

4. The Board has rejected their cases for pre-mature release on the ground contained under Clause (IV) (ख) of the notification no. 3106 dated 10.12.2002 issued by the Home (Special) Department, Government of Bihar. The Board has also found that there was an adverse report of the Superintendent of



Police and the Presiding Officer of the convicting court.

5. Learned counsel for the petitioners has by filing I.A. No. 1 of 2021 made a prayer to quash the decision of the Board taken on 27.08.2021 and communicated under letter no. 9555 dated 18.11.2021 in so far as it relates to petitioner nos. 1 and 2 whereby and whereunder the Board has been pleased to reject the prayer of the petitioners for their pre-mature release inter-alia on the ground that under Clause IV (ख) of the Notification No. 3106 dated 10.12.2002. As regards, one of the petitioners i.e. petitioner no. 3 learned counsel has filed another interlocutory application being I.A. No. 2 of 2021 to challenge the decision dated 01.11.2021 by which the prayer of the petitioner no. 3 for pre-mature release has been rejected on similar consideration.

6. In Cr.W.J.C. No. 1310 of 2022, the sole petitioner has prayed for quashing of the decision of Board taken on 01.11.2021 and communicated to all concerned vide letter no. 4679 dated 21.04.2022 in so far as it relates to the petitioner whereby and whereunder the Board has rejected the proposal for pre-mature release of the petitioner in the light of the Clause IV (ख) letter no. 3106 dated 10.12.2002 which is said to have been published in the Gazette dated 28.12.2002.



7. Learned counsel for the petitioners in both the writ applications have assailed the impugned orders mainly on two grounds as under:-

(1)The Board is not justified in applying the 2002 policy in respect of these petitioners for the reason that admittedly the said policy has been implemented practically after 25.09.2007 and prior to this date the convicts similarly situated to the petitioners were considered under the 1984 policy. It is submitted that prior to 25.09.2007 several persons were released by the respondent authorities, therefore, following the judgment of the Hon'ble Division Bench of this Court in Cr.W.J.C. No. 748 of 2017 (**Chandra Kant Kumar vs. The State of Bihar and Others**) it was incumbent upon the Board to give similar treatment to these petitioners.

(2) It is further submitted that for any reason even if 2002 policy is applied against the petitioners, there being no finding of the learned Trial Court that the petitioners had committed the offence of murder in an organized manner with a pre-plan or in pre-meditated manner, the cases of these petitioners would not be covered under Clause (IV) (ख) of the notification no. 3106 of 2002.

8. Learned counsel has relied upon the judgment of



the Hon'ble Division Bench of this court in Cr.W.J.C. No. 748 of 2017 as also a learned single judge judgment of this Court in Cr. W.J.C No. 236 of 2021 (**Surendra Mahto Vs. The State of Bihar and Others** reported in **2021 (4) PLJR 393**). It is his submission that petitioners would also be entitled for consideration of their cases for pre-mature release on the ground of reverse discrimination. Learned counsel has relied upon a judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of **Dr. G. Sadasivan Nair vs. Cochin University of Science and Technology and Others** reported in **(2022)4 SCC 404** to submit that a plea of reverse discrimination may be invoked in the nature of these cases.

9. Learned counsel has further relied upon the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of **Ram Chander Vs. The State of Chhattisgarh and Another** reported in **(2022) SCC Online SC 500**.

Submissions on behalf of the State

10. On the other hand, Mr. Prabhu Narayan Sharma, learned AC to AG has opposed these writ applications. Learned counsel has vehemently submitted that so far as the notification of 10.12.2002 is concerned, the same came into force with immediate effect. He has tried to explain this Court as to why



the Remission Board could not take decision prior to 25.09.2007. One of the reasons informed to this Court is that the two members who were required to be nominated in the Remission Board were nominated only on or about 30.07.2005 whereafter the meeting of the Remission Board took place.

11. Learned AC to AG, however, admits at the Bar that prior to 25.09.2007 the convicts under Section 302 I.P.C. who were similarly situated to the petitioners were released. Learned counsel submits that all those similarly situated persons would confer no right upon these petitioners to seek similar benefits. Admittedly, the date of conviction of these petitioners is 30.06.2006 i.e. the period during which the cases of others who were also convicted after publication of notification no. 3106 dated 10.12.2002, were considered by the said authorities and not by the other authorities and not by the Board and they were ordered to be released. Much emphasis has been given on his submission that the notification of 2002 has come into force on or about 28.12.2002 and it has an overriding effect over rules 548 and 549 of the Bihar Jail Manual. Hence, it is submitted that the cases of these petitioners are liable to be considered in the light of the policy decision of the government which was notified on 28.12.2002.



12. In course of argument, learned counsel for the State has placed before this Court number of documents. This Court finds that earlier the Government of Bihar in its Department of Law had issued a letter bearing no. 03/91-550 dated 21.01.1984. The said letter is being reproduced hereunder for a ready reference:-

“ संख्या – ए०/पी०एम-03/91-550
बिहार सरकार
विधि विभाग।
प्रेषक,
श्री श्री देव मिश्र,
सरकार के सचिव, बिहार।
सेवा में,
कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक, 21 जनवरी, 1984 ई०।
विषय – आजीवन कारावास की सजा वाले बंदियों की मुक्ति।
महाशय,

निर्देशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिस अभियुक्त को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया हो, उसे परिहार देने के हेतु एवं तदोपरान्त कारा से मुक्ति हेतु “आजीवन कारावास” की 20 वर्षों का कारावास माना जाय तथा अजीवन कारावास की सजा वाले बंदियों को मुक्त करने के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाय—

1.दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अधिनियाम संख्या 2,1974। की धारा 429 अन्तर्गत अनुमान्य प्रतिवेदन (अस्पष्ट) का लाभ आजीवन कारावास पाने वाले बंदी को नहीं मिलेगा अर्थात् जिस वाद में उसे अजीवन कारावास का दण्ड दिया गया है,उस वाद के अनुसंधान, जाँच एवं वनारण की अवधि में तथा दोष सिद्ध की तिथि के पूर्व कारा में बिताई गई अवधि 20 वर्षके कारावास में से घटाई जा सकेगी।

2.दोष सिद्ध हो जाने पर यदि किसी को ऐसे अपराध के लिए अजीवन कारावास का दण्ड दिया गया हो जिसके लियेदिये जाने वाले दण्डों में से एक मृत्यु दण्ड हो अथवा यदि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के अन्तर्गत मृत्युदण्ड को अजीवन कारावास से रूपान्तरित कर दिया गया हो, तथा इस प्रकार अजीवन कारावास का दंड दिनांक – 18.12.1978 को अथवा इसके बाद दिया गया हो, ता ऐसे बंदी को तभी कारा से मुक्त किया जा सकेगा, जब—

क. उसने दोष सिद्ध होने की तिथि से 14 वर्षों की अवधिकारा में व्यतीत कर ली हो

ख. परिहार तथा कारावास की अवधि का योगफल 20 वर्ष हो गया हो

3.अजीवन कारावास के दंड वाले अन्य बंदियों कोपरिहार समेत कारावास की अवधि 20 वर्ष हो जाने पर मुक्तकिया जा सकेगा।

इस, आदेश से सभी काराधीक्षकों को सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु अवगत करा दिया जाय।

आपका विश्वास भाजन,
ह०/—श्रीदेव मिश्र,
सरकार के सचिव, विधि विभाग।”



13. The Department of Law, Government of Bihar came out with another letter bearing no. 2939 dated 29th June, 2007 by which Paragraph '2' of the earlier letter dated 21st January, 1984 was superseded and the same was substituted vide letter dated 29th June, 2007. This Court therefore, deems it just and proper to reproduce the letter dated 29th June, 2007 as under:-

“ संचिका सं०-ए०पी०एम०-०३/८१'अंश' २९३९ जे०
बिहार सरकार
विधि विभाग
प्रेषक,
योगेन्द्र प्रसाद,
सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, बिहार, पटना।
सेवा में,
कारा महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक २९ जून, २००७ ई०।

विषय :- आजीवन कारावास की सजा वाले बंदियों की मुक्ति।
महोदय,

निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि विधि विभागीय पत्रांक-ए०/पी०एम० ०३/८१-५५० दिनांक २१ जनवरी, १९८४ के प्रसंग में राज्य सरकार द्वारा उक्त पत्र की कंडिका -२ को पूर्णतः विलोपित करते हुए निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। :-

“२. दोषसिद्ध हो जाने पर यदि किसी ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास को दंड दिया गया हो, जिसके लिए दिये जाने वाले दण्डों में से एक मृत्युदंड हो अथवा मृत्युदंड को आजीवन कारावास में रूपान्तरित कर दिया गया हो, को मुक्त करने का निर्णय, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित 'राज्य दंडादेश परिहार पर्सद' के द्वारा लिया जायेगा।”

विश्वासभाजन ह०/-
(योगेन्द्र प्रसाद)
सरकार के सचिव,
बिहार, पटना।”

14. Learned counsel for the State has further pointed out the subsequent letters issued by the I.G. (Prison) on 2nd July, 2007 and the letter dated 19.09.2007 issued by the Secretary of the Department of Law, Government of Bihar



which are again being reproduced hereunder for a ready
reference:-

“ पत्रांक 4125
बिहार सरकार
कारा निरीक्षणालय
गृह (कारा) विभाग

प्रेषक :-संदीप पौण्डरीक
कारा महानिरीक्षक
बिहार, पटना।
सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी काराधीक्षक।

पटना, दिनांक 2 जुलाई 2007।

विषय :- आजीवन कारावास की सजा वाले बंदियों की मुक्ति।

महाशय,

सरकार के सचिव, विधि विभाग के पत्रांक 2939 जे.दिनांक – 29.06.07 द्वारा सचिव, विधि (न्याय) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक ए. /पी.एम.–03/81–550 दिनांक 21.01.84की कंडिका 2 को विलोपित करते हुए निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है:-

“सिद्धदोष हो जाने पर यदि किसी को ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया गया हो, जिसके लिए दिये जाने वाले दंडों में से एक मृत्युदंड हो अथवा मृत्युदंड को आजीवन कारावास में रूपांतरित कर दिया गया हो, को मुक्त करने का निर्णय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य दंडादेश परिहार पर्षद के द्वारा लिया जाएगा। सुलभ संदर्भ के लिए उपरोक्त दोनों पत्रों की प्रति संलग्न की जा रही है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आजीवन कारावास की दंडप्राप्त व्यक्तियों के मामले में विमुक्त करने का निर्णय राज्य सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य दंडादेश परिहार पर्षद द्वारा लिया जाना चाहिए तथा जेल अधीक्षकों द्वारा अपने स्तर से आजीवन कारावास की सजा प्राप्त व्यक्ति को मुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त पत्र के आलोक में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति को अपने स्तर से मुक्त नहीं करें तथा ऐसे मामलों में इस कार्यालय की पत्रांक 1621 दिनांक 01.03.07 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार राज्य दंडादेश परिहार पर्षद के समक्ष मामले पर निर्णय हेतु पूर्ण प्रस्ताव बंदी की परिहार रहित 14 वर्ष तथा परिहार सहित 20 वर्ष होने की तिथि के 6 माह के पूर्व भेजना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह0/-

कारा महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

पत्र संख्या-ए0पी0एस0-03/81'अंश' 5225 जे0
बिहार सरकार
विधि न्याय विभाग।

योगेन्द्र प्रसाद
सरकार के सचिव, बिहार।

पटना, दिनांक-19.09.2007

विषय:-आजीवन कारावास की सजा वाले बंदियों की मुक्ति।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-4126 दिनांक-02.07.2007



महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने विधि विभागीय पत्रांक-ए0/पी0एम-03/91-550 दिनांक- 21 जनवरी, 1984 को संशोधन करते हुए उसकी कंडिका-3 के बाद निम्नलिखित एक परतुक जोड़ने का निर्णय लिया है:-

“ परन्तु मुक्त करने का निर्णय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य दंडादेश परिहार पार्षद द्वारा लिया जाएगा।”

अतःएव अनुरोध है कि इस निर्णय से सभी कारावासियों को सूचना है कि आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के सचिव, बिहार।”

15. It is his submission that for the first time, the State Remission Board in its meeting held on 25.09.2007 considered the cases of some of the convicts for pre-mature release. Prior to 25.09.2007 the cases for pre-mature release were considered by the Jail Superintendent and the orders were being passed in the light of the 1984 policy.

16. On the point of applicability of 2002 policy, the learned counsel for the State submits that Clause (IV) (ख) of the said notification earlier applies in the cases of these petitioners because they have been found involved in commission of murder and murder is a heinous crime, therefore, it is to be taken as a planned murder and the cases of planned murder would be covered under the aforesaid clauses. Learned counsel has also drawn the attention of this Court towards the opinion of the presiding officer in the case of one of the petitioners Md. Allauddin Ansari to submit that the learned presiding officer had also recorded an adverse opinion against the release of the



petitioners. Similar was the opinion in respect of others.

17. Having heard learned counsel for the petitioners and the State as also on perusal of the records, this Court finds that in this case the date of conviction of the petitioners is 30.06.2006. It is an admitted position as noticed hereinabove that even the cases of the convicts of the period after 2002 policy were considered by the Jail Superintendent prior to 25.09.2007 and they were granted the benefit of pre-mature release under 1984 policy. The Hon'ble Division Bench of this Court in Cr.W.J.C. No. 748 of 2017 (**Chandra Kant Kumar vs. The State of Bihar and Others**) has recorded the same in those cases in which similarly situated co-convicts were granted benefit of pre-mature release. The Hon'ble Division Bench has taken note of the fact that the Remission Board was constituted for the first time in the year 2007 and has further recorded that there was no denial of this fact from the side of the State.

18. The notification no. 3106 dated 10.12.2002 is being reproduced hereunder for a ready reference:-

“ बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक 10 दिसम्बर,

संख्या-के/कारा-विविध-63/2001-3106/कारा
अधिनियम, 1894 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तिये प्रयोग करते
हुए राज्य सरकार बिहार कारा हस्तक में तुरंत के प्रभाव से
निम्नलिखित संशोधन करती :-

संशोधन

बिहार कारा हस्तक का नियम 529 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित



किया जाएगा, यथा,

(i) राज्य दंडादेश परिहार पर्षद का गठन

बिहार राज्य दंडादेश परिहार पर्षद नामक एक पर्षद होगी जो बंदी को दिए गए दंडादेश परिहार के संबंध में विचार करेगी और समुचित मामलों में उसकी समय पूर्व रिहाई की अनुशंसा करेगी यह पर्षद एक स्थायी निकाय (**body**) होगी तथा निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित की जायेगी :-

1. गृह सचिव – अध्यक्ष
2. विधि सचिव – सदस्य
3. उच्च न्यायालय द्वारा नाम निर्देशित जिला एवं सत्र न्यायाधीश – सदस्य
4. निदेशक, परिवीक्षा सेवाएँ – सदस्य
5. आरक्षी महानिदेशक द्वारा नाम निर्देशित आरक्षी महानिरीक्षक – सदस्य

6. कारा महानिरीक्षक – सदस्य-सचिव

इस पर्षद की अनुशंसायें पर्षद में किसी रिक्ति या इसके किसी सदस्य की पर्षद की बैठक में भाग लेने में असमर्थता के कारण मात्र से अवधि अमान्य नहीं होंगी। परन्तु बैठक हेतु गणपूर्ति पूर्ति नहीं होने पर, पर्षद की बैठक नहीं होगी। पर्षद की गणपूर्ति अध्यक्ष की सम्मिलित करते हुए चार सदस्य से होगी।

(ii) पर्षद की बैठक की अवधि

राज्य दंडादेश परिहार पर्षद एक तिमाही में कम-से-कम एक बार, राज्य मुख्यालय में, पूरी कार्य सूची के साथ कम-से-कम 10 दिन पूर्व सदस्यों को अधिसूचित तिथि को बैठक करेगी। तथापि पर्षद के अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, तो पर्षद की एक से अधिक बैठकें एक तिमाही में बुला सकेंगे।

(iii) समय-पूर्व रिहाई के लिए अर्हता

राज्य दंडादेश परिहार पर्षद द्वारा समय-पूर्व रिहाई के लिए विचार हेतु निम्नलिखित कोटि के बंदी पात्र होंगे :-

(क) प्रत्येक सिद्धदोष बंदी, पुरुष अथवा महिला, जो आजीवन कारावास का दंड भुगत रहा/रही हो तथा जो दंड प्रक्रिया संहिता की धरा 433 (ए) के प्रावधानों से आच्छादित हो, बिना परिहार के कम-से-कम 14, वर्षों की वास्तविक सजा भुगतने के तुरत बाद समय-पूर्व रिहाई के लिए विचार करने हेतु पात्र होंगे।

(ख) सभी अन्य आजीवन कारावास की सजा प्राप्त पुरुष सिद्धदोष बंदी परिहार सहित 14 वर्षों की न्यूनतम सजा भुगतने और बिना परिहार के 10 वर्षों की वास्तविक सजा पूरी करने के उपरान्त समय पूर्व रिहाई के लिए विचार करने के पात्र होंगे।

(ग) सभी अन्य, आजीवन कारावास की सजा भोग रही महिला सिद्धदोष बंदी, परिहार सहित 10 वर्षों की न्यूनतम सजा भुगतने और बिना परिहार के 7 वर्षों की वास्तविक सजा अवधि पूरी करने के उपरान्त समय पूर्व रिहाई के लिए विचार करने की पात्र होगी।

(घ) सिद्धदोष बंदी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हों, 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर, यदि परिहार सहित उन्होंने 7 वर्षों के ससामन की सजा काट ली हो।



(च) आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे वैसे सिद्धदोष बंदी जो कैसर, एड्स, ठीक ना होने वाली किडनी की बीमारी, हृदय एवं श्वास से जुड़े असाध्य रोग एवं अन्स ऐसी छूआछूत वाली बीमारी से ग्रस्त हों, जैसा कि चिकित्सकों के एक बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो, यदि उन्होंने 5 वर्षों के वास्तविक अथवा परिहार सहित 7 वर्षों का दंड भुगत लिया हो।

(iv) समय-पूर्व रिहाई के लिए अयोग्यता

निम्नांकित श्रेणी के सिद्धदोष बंदी, जो आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे हो, समय पूर्व रिहाई के लिए विचार-योग्य नहीं हो सकेंगे :-

(क) बलात्कार, डकैती, आतंकवादी अपराधों, आदि जैसे अपराधों के सिद्धदोष बंदी।

(ख) वैसे बंदी, जो पूर्व चिंतन किये गये विषयों एवं सुनियोजित ढंग से हत्याएँ आयोजित करने के लिए सिद्धदोष हो।

(ग) वैसे पेशेवर हत्यारे, जिन्हें भाड़े पर हत्या कराने का दोषी पाया गया हो।

(घ) वैसे सिद्धदोष बंदी जो तस्करी कार्य में अंतर्लिप्त रहते हुए हत्या करता हो अथवा कर्त्तव्य पर रहने वाले लोक सेवकों की हत्या का दोषी हो।

(v) परिहार पक्ष के विचार के लिए मामलों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

(क) केन्द्रीय/जिला कारा के प्रत्येक अधीक्षक, जिनके पास आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदी हो, समय-पूर्व रिहाई के लिए विहित अर्हताओं के अनुसार विचार-क्षेत्र में आने के लिए किसी बंदी के अर्हता राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकथित मानदंड के अनुसार विचारण के योग्य बंदियों के होने की तिथि से 3 माह पहले से उनके मामलों की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।

(ख) कारा अधीक्षक ऐसे प्रत्येक मामलों में एक विस्तृत टिप्पणी बंदी की पारिवारिक एवं समाजिक पृष्ठभूमि देते हुए तैयार करेगा। उनकी टिप्पणी में यह भी उल्लिखित रहेगा कि किस अपराध के लिए उसे सिद्धदोष पाया गया और दी गयी सजा एवं परिस्थितिया जिसके अधीन अपराध किया गया। बंदी के कारावास के दौरान उसके आचरण एवं आचार, परवीक्षा अवकाश के उसे छोड़े जाने की अवधि में उसका आचरण एवं आचार, उसके आचरण शैली में कोई परिवर्तन हुआ हो अथवा कारा अपराध यदि उसके द्वारा किया गया हो और उसके लिए सजा दी गयी हो, के बारे में वे पूर्ण रूप से प्रकाश डालेंगे। उसके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य या कोई गंभीर बिमारी है, जिससे बंदी पीड़ित है की उसे समय-पूर्व रिहाई के लिए विशेष विचारण के लिए हकदार बनाती हो, के बारे में एक प्रतिवेदन भी तैयार किया जाएगा। इस टिप्पणी में काराधीक्षक की अपनी अनुशंसा में अन्तर्विष्ट होगी कि बंदी की समय-पूर्व रिहाई के पक्ष में है या नहीं और प्रत्येक दशा में वह पर्याप्त कारणों द्वारा समर्थित होगी।

(ग) काराधीक्षक उस जिले के आरक्षी अधीक्षक को निर्देशित करेंगे कि बंदी अपराध करने के समय, जिसके लिए उसे सिद्धदोष किया गया है, कहाँ सामान्यतया निवास करता था अथवा कारामुक्त होने के बाद वह पुनः कहा बसने वाला है। फिर



भी, बंदी जहा अपराध करने के समय सामान्यतया निवास करता था उसके भिन्न स्थान, जहाँ उसने अपराध किया, कि दशा में भी उस जिले के आरक्षी अधीक्षक को एक निर्देश दिया जाएगा, जिसमें अपराध किया गया था। दोनों ही स्थितियों में, वह अपने द्वारा तैयार की गयी टिप्पणी की प्रति बंदी की समय-पूर्व रिहाई की वांछनीयता के संबंध में अपना विचार व्यक्त करने हेतु आरक्षी अधीक्षक को समथ करने हेतु प्रेषित करेगा।

(घ) संबंधित आरक्षी अधीक्षक निर्देश प्राप्त होने पर मामले में जो समुचित कोटि के वरीय आरक्षी पदाधिकारी हो, द्वारा जांच कराएंगे एवं स्वविवेकानुसार अपनी अनुशंसा करेंगे। अनुशंसा करते समय आरक्षी अधीक्षक यंत्रवत् कार्य एवं बंदी की समय-पूर्व रिहाई का विरोध परिकल्पित आशंकाओं एवं अमान्य आधारों पर नहीं करेंगे। अगर आरक्षी अधीक्षक बंदी की समय-पूर्व रिहाई के पक्ष में ना हो तो वे तर्कपूर्ण कारणों एवं तथ्यों से उसे न्यायोचित ठहराएंगे। वे निर्देशित प्राप्ति के 30 दिनों के भितर संबंधित कारा अधीक्षक को अपनी राय के साथ निर्देश वापस कर देंगे।

(च) काराधीक्षक बंदी कल्याण पदाधिकारी/निदेशक राज्य की परवीक्षा सेवा को भी इस संबंध में निर्देश करेंगे एवं उन्हें अपनी टिप्पणी की एक प्रति भी अग्रसारित कर देंगे। निर्देश की प्राप्ति पर, बंदी कल्याण पदाधिकारी निदेशक, परवीक्षा सेवा स्वयं करेंगे, अथवा किसी परवीक्षा पदाधिकारी के माध्यम से बंदी पारिवारिक एवं समाचिज पृष्ठभूमि, उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी स्वीकार्यता, तथा बंदी के पुनर्वास एवं एक अच्छे नागरिक के रूप में सार्थक जीवन व्यतीत करने हेतु सामाजिक संभावनाओं का ध्यान रखते हुए बंदी की समय पूर्व रिहाई की वांछनीय जांच करेंगे अथवा कराएंगे। वे यंत्रवत् कार्य नहीं करेंगे एवं प्रत्येकमामले को समय-पूर्व रिहाई के लिए अनुशंसित नहीं करेंगे। दोनों में से हरेक मामले में तथ्यों के रूप में अभिलिखित कारणों/अपनी अनुशंसा का न्यायोचित ठहराएंगे। बंदी कल्याण पदाधिकारी/निदेशक परवीक्षा सेवा अपना प्रतिवेदन/ अनुशंसा निर्देश की प्राप्ति से 30 दिनों के भितर काराधीक्षक को सुपूर्द कर देंगे।

(छ) आरक्षी अधीक्षक तथा बंदी कल्याण पदाधिकारी / निदेशक परवीक्षा सेवा के प्रतिवेदन – अनुशंसा प्राप्त होने पर, काराधीक्षक राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् की प्रस्तावित बैठक से कम-से-कम एक माह पूर्व मामलों को कारा महानिरीक्षक के सामने उपस्थापित करेंगे। कारा महानिरीक्षक मामले की जांच काराधीक्षक, आरक्षी अधीक्षक एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी / निदेशक परवीक्षा सेवा के प्रतिवेदनों / अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आरक्षी अधीक्षक तथा बंदी कल्याण पदाधिकारी / निदेशक परवीक्षा सेवाएं बंदी की समय-पूर्व रिहाई अथवा राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् के सरकार द्वारा अधिकाथित सामान्य या विशेष दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए बंदी की रिहाई के संबंध में अपनी अनुशंसाएं करेंगे। समय-पूर्व रिहाई के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गये विभिन्न सन्नियमों एवं दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

परिहार पर्षद के लिए प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश

(क) कारा महानिरीक्षक राज्य मुख्यालय में राज्य



दंडादेश परिहार पर्षद् की बैठक किसी दिन तथा समय आहुत करेंगे जिसकी पूर्व सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से कम-से-कम दस दिन पूर्व पर्षद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचना दी जाएगी एवं उसके साथ सम्पूर्ण कार्यसूची के कागजात संलग्न रहेंगे, यथा – काराधीक्षक की टिप्पणी, आरक्षी अधीक्षक, बंदी कल्याण पदाधिकारी / निदेशक परवीक्षा सेवाये तथा कारामहानिरीक्षक की अनुशंसाएं, दस्तावेजों की प्रति सहित यदि कोई हो।

(ख) बैठक सामान्यता अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी और यदि कुछ कारणों से बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो यह न्यायिक सचिव-सह-विधि परामर्शी की अध्यक्षता में होगी। – सदस्य-सचिव (कारा महानिरीक्षक) राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् के समक्ष विचारण हेतु प्रत्येक बंदी के मामले को प्रस्तुत करेंगे। पर्षद् मामले पर विचार करेगी एवं अपना विचार गठित करेगी। जहां तक व्यवहार्य हो, दंडादेश परिहार पर्षद् सर्वसम्मति से अनुशंसा करने का प्रयास करेगी। फिर भी विसम्मति की दशा में बहुमत अभिभावी होगा और वह पर्षद् का निर्णय माना जाएगा।

(ग) किसी विशिष्ट बंदी की समय-पूर्व रिहाई के मामले पर विचार करते समय पर्षद् क्षमादान, दंडादेश के परिहार आदि को राज्य सरकार द्वारा न्यायालयों द्वारा, उस विषय में पूर्व के उदाहरण के रूप में अधिकथित सामान्य सिद्धांतों को विचार में रखेगा। दंडादेश परिहार पर्षद् के समक्ष बंदी कल्याण एवं समाज कल्याण का सर्वोपरि ध्यान होगा। पर्षद् सामान्यतया किसी बंदी की समय-पूर्व रिहाई को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेगी कि पुलिस द्वारा उसके रिहाई कतिपय अतार्किक एवं काल्पनिक अवधारणाओं के कारण अनुसंसित नहीं हैं पर्षद् उन सभी परिस्थितियों को विचार क्षेत्र में रखेगा जिसमें बंदी द्वारा अपराध किया गया हो, तथा बंदी द्वारा इस तरह के या अन्य किस्म के अपराध करने का रुझान है या नहीं, या इस तरह का अपराध वह पुनः कर सकता है या नहीं।

(घ) राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् द्वारा किसी बंदी की समय पूर्व रिहाई की एक या एक से अधिक अवसरों पर अस्वीकृत उसके मामलों के पुनर्विचार में बाधक नहीं होगी। फिर भी, किसी सिद्धदोष बंदी के अस्वीकृत मामले पर पुनर्विचार उसके मामले में पूर्व में किये गये विचार की तिथि से एक साल की अवधि बीत जाने पर ही किया जायेगा।

(च) राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् की अनुशंसाएं अविलम्ब सक्षम पदाधिकारी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी। सक्षम पदाधिकारी राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगा या उसे अभिलिखित कारणों के आधार पर अस्वीकृत करेगा या किसी विशिष्ट मामले पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् को कहेगा। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय संबंधित बंदी को संसूचित किया जायेगा और यदि सक्षम प्राधिकारी ने परिहार प्रदान किया हो और उसके समय पूर्व रिहाई का आदेश दिया जा चुका हो, तो बंदी तुरंत सशर्त अथवा बिना शर्त कारा से मुक्त कर दिया जायेगा।

इस नियम का अभिभावी प्रभाव

इस नियम का अभिभावी प्रभाव बिहार कारा हस्तक



के नियम-548 एवं नियम-552 पर उस होगा, जहाँ तक आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदियों को समय-पूर्व रिहाई से संबंध हो

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(आर. जे. एम. पिल्लै)
गृह आयुक्त एवं सचिव “

19. This Court has occasion to discuss the aforementioned judgment of the Hon'ble Division Bench in the case of **Surendra Mahto** (supra) and having discussed the policies existing prior to implementation of the 2002 policy, this Court directed the Board to consider the case of the said petitioner for pre-mature release. The judgment of this Court in the case of **Surendra Mahto** (supra) has also attained finality as no special leave petition appeal was preferred against the same. Paragraph '51' of the judgment in the case of **Surendra Mahto** (supra) reads as under:-

“51. In the present case since this Court has come to a conclusion that 2002 notification cannot be applied against the petitioner and his case is liable to be considered on the same pedestal on which the cases of other life convicts who were awarded life conviction in the year 2003 as have been discussed by the Hon'ble Division Bench in Cr.WJC No.748 of 2017 have been considered, this Court is of the view that the case of the petitioner cannot be rejected on the ground that the Hon'ble Apex Court has awarded full life imprisonment. The essence of the matter is



that if under the policy decision of the government the petitioner is entitled to be considered for remission then he must be considered. The constitutional power under Article 72 and 161 of the Constitution of India and the statutory power under Section 432 Cr.P.C. still remains. Thus the second ground taken by the Remission Board for rejection of the case of the petitioner also fails.”

20. This Court is, therefore, of the considered opinion that there being an admitted position that 2002 policy was not implemented prior to 25.09.2007, the cases of the petitioners would be liable to be treated in the light of the Hon’ble Division Bench judgment in case of Cr.W.J.C. No. 748 of 2017 and the judgment of the learned Single Bench of this Court in the case of **Surendra Mahto** (supra). To this Court, it appears that the date of publication of the policy would lose its significance in the facts and circumstance of the case and if two views may, be possibly taken, this Court would lean in favour of the convicts who are looking for consideration of their cases for pre-mature release.

21. The Hon’ble Supreme Court has in the case of **Dr. G. Sadasivan Nair** (supra), while dealing with a case of service matter one of the contentions before the Hon’ble Supreme Court was as under:-



“ 19. In relation to the appellant's contention that other employees of the respondent University who were similarly situated as the appellant, had been granted the benefit under Rule 25(a), it was submitted that the appellant cannot claim such relief relying on an earlier illegal order. That such a claim based on negative equality in favour of the appellant was untenable. ”

22. The aforementioned contention has been answered by the Hon'ble Supreme Court in Paragraph '33' which is being reproduced hereunder:-

“33. Therefore, we are of the view that if the respondent University sought to deny the benefit of Rule 25(a), in light of the proviso which was subsequently inserted thereby limiting the benefit of the Rule, it ought to have done so uniformly. The proviso could have been made applicable in relation to all employees who retired from service of the respondent University following the introduction of the proviso i.e. after 12-2-1985. However, the action of the respondent University of selectively applying the proviso to Rule 25(a) in relation to the appellant, while not applying the said proviso in relation to similarly situated persons, is arbitrary and therefore illegal. Such discrimination, which is not based on any reasonable classification, is violative of all canons of equality which are enshrined in the Constitution of India.”

23. The same reasoning and rationale if applied in this case, this Court would come to a conclusion that once the state



government has given benefit of 1984 policy to the convicts of the period after publication of notification no. 3106 dated 10.12.2002 and prior to 25.09.2007 the same benefit must be granted to the similarly situated persons.

24. This Court further finds that in course of hearing, learned counsel for the State could not demonstrate from the learned trial's court judgment any finding that it was an organized crime with a pre-meditation of mind. Learned counsel for the State has definitely tried his level best to submit that if the definition of planned murder is gone through in the dictionary, this kind of murder is to be taken as falling in the category of planned murder. This Court is afraid that such submission of the learned counsel for the State cannot be allowed to be taken to defeat the very purpose of the policy towards pre-mature release. This Court cannot by looking into the dictionary meaning of a word, allow learned counsel for the State to add something in the judgment of the learned trial court which is not there.

25. To this Court, it further appears that the learned presiding officer while recording his judgment has been swayed away by the fact that it was a case of murder. He has written about the manner of occurrence but nowhere stated in his report



that the trial court has anywhere found it a case of organized murder. No further material has been placed before this Court.

26. This Court further finds that the report of the S.P. is full of surmises and conjectures. In a completely vague words, it is stated that in course of inquiry from the villagers it was found that in case of release of these petitioners some untowards occurrence may take place. This Court finds no basis in the report of the S.P. so as to take this view. These petitioners have remained in actual custody about 20 years by now. It is very difficult for this Court to understand how this kind of surmises and conjectures may be made by an officer in the rank of Superintendent of Police. A person who has remained imprisoned for 20 years and there is no adverse report against him by the Probation Officer may be denied privilege of pre-mature release on a vague mention in the report of S.P. that on their release there may be chances of any untoward happening. This Court has been informed that the report of the Probation Officer rather says about good conduct of the petitioners. The opinion of this Court is that the report of the Probation Officer would carry more weight as he is the person who has occasion to watch the behavioral pattern of the convicts/petitioners inside the jail.



27. For the aforesaid reasons, this Court finds that the decision taken by the Remission Board in respect of these petitioners cannot sustain the test of law. The impugned orders are hereby set aside. These writ applications are allowed. The State Remission Board through its Chairman (Respondent no. 2) is directed to convene its meeting within a period of one month from the date of receipt/ production of a copy of this order and consider the cases of these petitioners for pre-mature release keeping in mind the discussions made hereinabove.

28. The writ applications and the I.As. are accordingly allowed.

(Rajeev Ranjan Prasad, J)

tusharika/-

U		T	
---	--	---	--

AFR

